जिस नजर से आप दुनिया को देखेंगे, ये दुनिया आपको वैसी ही दिखेगी।
– अज्ञात

अरसे से कर रहे थे मांग

इसके पीछे दलील यह दी गई कि अगर महिला को गर्भवती होने का अधिकार है, अपने शरीर पर उसका अधिकार है तो गर्भपात करवाना है या नहीं इसका भी हक उसी के पास होना चाहिए। बच्चे को जन्म देना ही अहम नहीं होता।

आदर्श वर्मा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (अमेंडमेंट) बिल, 2020 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 में संशोधन का रास्ता साफ हो गया है। इस बिल को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। इसमें गर्भपात कराने की सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है।

अरसे से महिलाएं और चिकित्सक इसकी मांग कर रहे थे। अदालत ने भी इसके लिए आग्रह किया था। इसके पीछे दलील यह दी गई कि अगर महिला को गर्भवती होने का अधिकार है, अपने शरीर पर उसका अधिकार है तो गर्भपात करवाना है या नहीं इसका भी हक उसी के पास होना चाहिए। बच्चे को जन्म देना ही अहम नहीं होता। बच्चे की सही परवरिश और पालन–पोषण की जिम्मेदारी भी मुख्यतरू महिला पर ही होती है। ऐसे में अगर वह इस लंबी, बरसों चलने वाली जिम्मेदारी का पालन करने की स्थिति में नहीं है तो उसे गर्भपात की इजाजत मिलनी ही चाहिए।

वर्तमान कानून में कई तरह की दिक्कतें आ रही थीं खासकर नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं के मामले में। कई मामलों में तो गर्भधारण का पता ही 20 हफ्ते के बाद चला। उसके बाद वर्तमान कानून के तहत अबॉर्शन नहीं हो सकता था। ऐसे में कई नाबालिगों को मजबूरन बच्चे को जन्म देना पड़ा। यही नहीं कई बार कानूनी कार्रवाई और कोर्ट से इजाजत लेने में बहुत समय लग जाता है। इस वजह से भी कई रेप पीड़िताएं और पॉक्सो विक्टिम अपना गर्भपात नहीं करा पाती थीं।

कानून की उलझनों की वजह से ही उन मामलों में भी गर्भपात नहीं हो पाया जिनमें बच्चे के किसी विकृति के साथ जन्म लेने की आशंका थी। एक अनुमान है कि देश में हर साल करीब दो करोड़ 70 लाख बच्चे जन्म लेते हैं, जिनमें से 17 लाख बच्चे जन्मजात विसंगतियों के साथ पैदा होते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में मामले देर से सामने आने पर 20 हफ्तों में गर्भपात करना संभव नहीं होता। 20 हफ्तों की सीमा के चलते कई जगहों पर गैरकानूनी तरीके से असुरक्षित ढंग से गर्भपात कराए जा रहे थे।

देश में कुल मातृ मृत्यु दर का जो आंकड़ा है उसमें 8 फीसदी मौतें असुरक्षित तरीके से होने वाले गर्भपात के कारण होती हैं। दरअसल प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध के कारण कई अच्छे डॉक्टर गर्भपात करने से हिचकते हैं। इसलिए कई बार यह काम नीम–हकीमों से कराया जाता है। इन तमाम समस्याओं की वजह से अबॉर्शन की सीमा बढ़ाना बेहद जरूरी हो गया था। कई विशेषज्ञों का कहना है कि इस कानून को सही ढंग से अमल में लाना बेहद जरूरी है। कुछ की सलाह यह है कि 24 सप्ताह के गर्भपात के साथ महिलाओं को मुफ्त में सघन चिकित्सा की सुविधा दी जाए। बहरहाल, इसमें कोई दो मत नहीं कि यह विधेयक कानून का रूप लेने के बाद महिलाओं के शरीर पर उनके हक को व्यवहार में उतारेगा।

आश्वासन

अशोक वोहरा।

धर्म-दर्शन

एक बिल्कुल सुरक्षित, एन्क्रिप्टेड संदेश अनुप्रयोग, कुछ के लिए पवित्र कंघी बनानेवाले की रेती, सेवा उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने का आश्वासन देती है जो आमतौर पर जांच के तहत विघटित होती है। सरकारी अधिकारी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली सुरक्षा कारणों से विशाल तकनीकी कंपनियों को संरक्षित सामग्री में बैक डोर एंट्री को आकार देने के लिए कह रहे हैं। हाल ही में, हमने देखा, प्रधान मंत्री थेरेसा मे ने दावोस, स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम शिखर सम्मेलन में सुरक्षा और डेटा गोपनीयता के बीच संतुलन की आवश्यकता के बारे में बात की थी। संक्षेप में, मैसेजिंग ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ता के डेटा की सुरक्षा को खारिज कर दिया।

संपादकीय

भारत में गंगा की पूजा

भारत में गंगा की पूजा देवी गंगा मां के रूप में की जाती है। गंगा प्रदूषण से मुक्त, शुद्ध रहे, बाधाओं से मुक्त होकर अविरल बहे और बहती रहे, इसी में भारत का हित है। इस दिशा में भारत सरकार की पहल और प्रयास सराहनीय है। परंतु केवल सरकार का प्रयास काफी नहीं होगा। इसमें गंगा किनारे स्थित पांच राज्यों, सैकड़ों नगरों और तरह–तरह के उद्योगों से जुड़े लोगों की सहभागिता भी आवश्यक है। वैज्ञानिक, जल विज्ञानी, भूगर्भशास्त्री, नीति निर्माता, पर्यावरणविद, धार्मिक प्रमुख, साधु–संत, मल्लाह, कृषक, मजदूर हर किसी को अपने हिस्से का योगदान करना होगा, तभी हम स्वच्छ, निर्मल, प्रदूषणमुक्त अविरल गंगा की कल्पना साकार कर सकते हैं।

इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 से 31 जनवरी तक राज्य के 26 जनपदों में 5 दिवसीय गंगा यात्रा निकालने की घोषणा की तो एक बात साफ हो गई कि इसके माध्यम से गंगा के तटवर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाना है। यूपी में चल रही इस यात्रा के जरिए गंगा तट के किनारे स्थित सभी धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों को आस्था के साथ ही पर्यटन की गतिविधियों से जोड़ने की कोशिश हो रही है। इससे स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार बढ़ेगा।

गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में श्मशान गृह/घाट का निर्माण कराने के साथ ही गांवों में 07 स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम तथा आयुष्मान योजना के तहत समुचित इलाज प्रारंभ किया जाएगा। इसके अलावा नगर निकायों में पशु आरोग्य मेले का भी आयोजन होगा। इन कार्यक्रमों के जरिए वे लोग सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ेंगे, जो अभी तक वंचित रह गए थे।

जब वह कहते हैं कि कोई कुछ भी कर ले हम नागरिकता संशोधन कानून से पीछे नहीं हट सकते तो पार्टी में नीचे से उपर तक संदेश जाता है कि चाहे जो हो हमारा नेतृत्व अपने निर्णय पर कायम है।

नेतृत्व अपने निर्णय पर कायम

अवधेश कुमार।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव अभियान को जिस तरह आक्रामक तेवर दिया, वह बीजेपी की दृष्टि से बेहद अहम है। मोदी सरकार 2.0 के अपने अजेंडे पर शानदार तरीके से काम करने के बावजूद झारखंड में पराजय और उसके पहले महाराष्ट्र में शिवसेना द्वारा विरोधियों के साथ सरकार बनाने से उपजी नेताओं–कार्यकर्ताओं व समर्थकों की निराशा दूर करने का यही एक रास्ता हो सकता था। जब पार्टी का दूसरा शीर्ष नेता सीधे मैदान में उतरकर विपक्ष के खिलाफ हमलावर तेवर अख्तियार करता है तो इसका असर होता ही है। इससे पार्टी के अभियान को धार मिली है। जब वह कहते हैं कि कोई कुछ भी कर ले हम नागरिकता संशोधन कानून से पीछे नहीं हट सकते तो पार्टी में नीचे से उपर तक संदेश जाता है कि चाहे जो हो हमारा नेतृत्व अपने निर्णय पर कायम है।

बीजेपी ने अपने नुकसान की भरपाई की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना से रिश्ता टूटा तो पार्टी ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे की ओर हाथ बढ़ा दिया है। मकसद यह है कि शिवसेना के स्टैंड बदलने से जो शिवसैनिक क्षुब्ध हैं, उन्हें बीजेपी के पाले में

लाया जाए। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू और एलजेपी, दोनों को सीटें दी हैं बावजूद इसके कि इन दोनों का दिल्ली में कोई जनाधार नहीं। कुछ लोग कह सकते हैं कि बीजेपी ने चोट खाने के बाद सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने की रणनीति अपनाई है। एक हद तक बात सही है, लेकिन इसे सही परिप्रेक्ष्य में देखना होगा।

झारखंड में बीजेपी चुनाव हारी लेकिन उसके वोट 31.3 से 33.8 प्रतिशत हो गए। इसी तरह हरियाणा में उसका वोट प्रतिशत 33.20 से बढ़कर 36.5 हो गया। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को वोट नहीं मिल रहे, बीजेपी की मूल समस्या अंदरूनी कलह तथा भितरघात है। झारखंड जैसे छोटे राज्य में जब चार दर्जन से ज्यादा विद्रोही खड़े हो जाएं और पार्टी का एक बड़ा धड़ा उनके लिए काम करे तो केंद्रीय नेतृत्व चुनाव नहीं जिता सकता।

यह अंदरूनी कलह क्यों है, इस पर बीजेपी लीडरशिप गहराई से विचार नहीं करेगी तो उसे आगे भी विधानसभा चुनावों मे लेने के देने पड़ सकते हैं। विचारधारा वाली पार्टी में असंतोष, विद्रोह या भितरघात दो ही अवस्था में होता है। या तो केंद्रीय नेतृत्व विचारधारा से दूर चला जाए या पार्टी के अंदर एक वर्ग के लिए विचारधारा की जगह पद और कद प्रमुख हो जाए। मोदी सरकार में पहला कारण तो हो नहीं सकता क्योंकि धारा 370 खत्म करने जैसे सबसे पुराने वादे पूरे करने वाली सरकार के बारे में नहीं कहा जा सकता कि वह विचारधारा से डिग गई है। कारण दूसरा है। बीजेपी ने पहले 11 करोड़ और दूसरे अभियान से 18 करोड़ सदस्यता का रिकॉर्ड बना लिया, लेकिन ऐसा माहौल नहीं बना सकी कि नए लोग पार्टी में घुल–मिल सकें और पुरानों के साथ उनका तालमेल हो। आंतरिक सुधार तो तभी संभव है जब सारे नेता अपने अहं और क्षुद्र स्वार्थों का त्याग करें। पर यह नहीं हो रहा है।

नरेंद्र मोदी के नाम पर लोकसभा चुनाव में एकजुटता हो जाती है, पर विधानसभा में नहीं। दरअसल पार्टी नेतृत्व में केवल ऊपर के दो–चार नेता नहीं आते।

सूडोकु नवताल-5247

मध्यम

4			9		6	1		8
6	8							
	1	7	3	8		4		
3	4		6		7			9
5		1	8			2		7
2			5		1		8	4
		3		7	5	8	6	
							9	5
7		6	2		8			1

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5246 का हल

2	9	8	3	5	6	1	7	4
4	5	3	2	1	7	9	8	6
7	1	6	4	8	9	2	5	3
8	2	5	6	9	1	3	4	7
3	6	4	7	2	5	8	1	9
1	7	9	8	3	4	5	6	2
5	4	1	9	7	2	6	3	8
6	3	2	1	4	8	7	9	5
9	8	7	5	6	3	4	2	1

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

सीएए, एनआरसी, एनपीआर

लिमटी खरे। सीएए, एनआरसी, एनपीआर जैसे मामलों को विवादित की श्रेणी में इसलिए रखा जा सकता है, क्योंकि इन मसलों में देश भर में बखेड़ा खड़ा हुआ है। देश की राजनैतिक राजधानी दिल्ली सहित अनेक शहरों में इसके समर्थन और विरोध में रैलियां की जा रहीं हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। सियासी बियावान में नेताओं के द्वारा अपने अपने हिसाब से इस मामले में पैंतरे बदले जा रहे हैं। एनआरसी, सीएए, एनपीआर वास्तव में है क्या इसे जाने बिना, बताए बिना ही इस मामले में चारों ओर कोहराम ही मचा दिख रहा है। वर्तमान परिदृश्य में वालीवुड अभिनेताओं के द्वारा एक दूसरे पर जिस तरह से बयानबाजी कर वार किए जा रहे हैं, वह स्वस्थ्य परंपार तो कतई नहीं मानी जा सकती है। अभिनेता नसीरूद्दीन शाह के द्वार अनुपम खेर को जोकर निरूपित कर दिया गया। यहां तक कह दिया गया कि अनुपम खेर की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। पलटवार करते हुए अनुपम खेर ने नसीरूद्दीन शाह को कुंठित मानसिकता से ग्रस्त अभिनेता बता दिया गया।